कार्यालय नगरपालिका परिषद् नारायणपुर, जिला– नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष– 07781–252278 Email- cmonarayanpur@rediffmail.com

क्रमांक/1451/स्था./न.पा./2018 नारायणपुर, दिनांक– 29/12/2018

//आदेश//

छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 4–08/2018/18 अटल नगर दिनांक 03.12.2018 अनुसार नगरपालिका परिषदों में लेखापाल की व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची अनुसार एवं प्रेसीडेन्ट–इन–कौंसिल की बैठक दिनांक 27/12/2018 प्रस्ताव क्रमांक 1 में लिये गये निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा) नियम 1968 के अधीन नगरपालिका परिषद् नारायणपुर हेतु चयनित अभ्यर्थी श्री नीरज कुमार, आत्मज– श्री टेकराम देवांगन को लेखापाल के नियमित पद पर वेतनमान 5200–20200+ग्रेड वेतन रूपये 2400 प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय–समय पर देय महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ता पर कार्यभार ग्रहण दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्ति किया जाता है:–

1. चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जा रहा है। उक्त अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही सेवा में स्थायी किये जाने की कार्यवाही की जावेंगी।
2. यदि चयनित अभ्यर्थी सेवा में आने के पश्चात् सेवा छोड़ना चाहता है तो एक माह पूर्व सूचना निकाय को देना होगा अथवा एक माह का वेतन और उस पर देय सभी भत्ते नगरपालिका नारायणपुर में जमा करना होगा।
3. चयनित अभ्यर्थी बिना पूर्व अनुमति के अग्रिम शिक्षा अथवा किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।
4. कार्यालय प्रमुख के अनुमति के बगैर वे अन्यत्र नौकरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
5. चयनित अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा बोर्ड नारायणपुर से स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण पत्र आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि वे नौकरी हेतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण उपयुक्त नहीं पाये जाते है तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेंगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम अधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का शैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो बिना किसी कारण बताये उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा, जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
7. नियुक्ति किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर नगरपालिका परिषद नारायणपुर में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेंगा।
8. चयनित अभ्यर्थी के किसी भी प्रमाण पत्र के असत्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

2018.12.29 17:38